

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 7(88) शिक्षा-2/2018/जयपुर दिनांक 12.02.19 एवं ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014 की अनुपालना में नीचे वर्णित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीवीक्षाकाल की अवधि में निम्नांकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवैतनिक अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम व पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	लिय गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	अवकाश का प्रकार
1	रिद्धु पालावत, रूपगढ़, सीकर	जीव विज्ञान	22.07.2017 से 04.09.217 चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर	45	अवैतनिक अवकाश
2	श्रीमती पारुल माहेश्वरी, रामगढ़, अलवर	जीव विज्ञान	20.10.2018, 24.11.2018, 11.12.2018 से 14.12.2018, 27.06.2019 से 28.06.2019, 02.07.2019 से 04.07.2019 एवं 06.07.2019 बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर	12	अवैतनिक अवकाश
3	सुमन लता गुप्ता, हिण्डौन सिटी, करौली	जीव विज्ञान	10.07.2018 से 25.07.2018 तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर	16	अवैतनिक अवकाश



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगु/अवकाश/2018-19

दिनांक 09/09/2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
03. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि।
04. संबंधित कार्मिक।
05. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
06. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर